



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012026-269268
CG-DL-E-12012026-269268

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947

No. 135]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2026

का.आ. 145(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 430 तारीख 23/01/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में NH52 के कि.मी. 557.331 से कि.मी.566.45 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 30/01/2025 को "फ्री प्रेस", 30/01/2025 को "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में NH52 के कि.मी. 557.331 से कि.मी.566.45 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: देवास		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: देवास					
गांव का नाम: दुर्गापुरा					
1	58/1	निजी	कृषि	0.042	विशाल कुमार जैन पिता नरेंद्र कुमार जैन 58/1/1
2	71/5	निजी	कृषि	0.019	ऋषभ पिता अशोक कुमार जैन 71/5/1/1
3	71/5	निजी	कृषि	0.019	ऋषभ पिता अशोक कुमार जैन 71/5/1/2
4	71/5	निजी	कृषि	0.03	पूनम के पिता नरेंद्र कुमार जैन 71/5/2
5	72/3	निजी	कृषि	0.03	अदिति के पिता किशोर कुमार जैन 72/3/1
Total				0.14	

[फा. सं. NHAI/PIU/GUNA/2011/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2026

S.O. 145(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **430 Dated:23/01/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH52 in the stretch of land from Km. 557.331 to Km. 566.45 in the district of DEWAS in the state of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Free Press” dated 30/01/2025 , “Dainik Bhaskar” dated 30/01/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH52 in the stretch of land from Km. 557.331 to Km. 566.45 in the district of DEWAS in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: DEWAS		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dewas					
Village: Durgapura					
1	58/1	Private	Agriculture	0.042	Vishal Kumar Jain S/o Narendra Kumar Jain 58/1/1
2	71/5	Private	Agriculture	0.019	Rishab s/o Ashok kumar Jain 71/5/1/1
3	71/5	Private	Agriculture	0.019	Rishab S/o Ashok kumar Jain 71/5/1/2
4	71/5	Private	Agriculture	0.03	Poonam D/o Narendra Kumar Jain 71/5/2
5	72/3	Private	Agriculture	0.03	Aditi D/o Kishore Kumar Jain 72/3/1
Total				0.14	

[F. No. NHAI/PIU/GUNA/2011/3D]
SHAIKH AMINKHAN, Director